अध्याय III : नागरिक उड्डयन मंत्रालय

जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड का या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाता

3.1 या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते में से अमान्य व्यय

जी.है.अं.ह.अ.लि. ने या.से.शु. (एस.सी.) निधि एसक्रो खाते से ₹ 100.40 करोड़ का अमान्य व्यय किया।

वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 88 के अनुसार, हवाई अड्डा संचालक वायुयान पर चढ़ने वाले यात्रियों से 'यात्री सेवा शुल्क' (या.से.शु.) लेने का अधिकारी है। इस प्रकार संग्रहित या.से.शु.[1] में एक सुरक्षा घटक (या.से.शु. का 65%) तथा एक सुविधा घटक (या.से.शु. का 35%) सम्मिलित है। किसी निजी हवाई अड्डा संचालक के मामले में, सुविधा घटक उसके द्वारा रख लिया जाता है, जबकि सुरक्षा घटक एस्क्रो खाते में रखा जाता है जिसका नागरिक उड्डयन मंत्रालय (ना.उ.मं.) द्वारा अनुमत सुरक्षा संबंधी व्यय करने में उपयोग किया जाता है। तदनुसार, जी.एम.आर. हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (जी.है.अ.ह.अं.लि.) (संचालक) जून 2008 से एक एसक्रो खाते का परिचालन कर रहा था।

ना.उ.मं. ने या.से.शु. (एस.सी.) एसक्रो खाते के विनियमन हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (मा.प.प्र.) जारी की (जनवरी 2009)। मा.प.प्र. उन प्रयोजनों के विवरण देता है, जिनके लिए एसक्रो खाते की राशि का उपयोग किया जा सकता है।

तथापि, संचालक ने या.से.सु. (एस.सी.) निधि से निम्नलिखित अमान्य व्यय प्रभारित किया:

क्र. स.	व्यय के मद	वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	टिप्पणियां
राजस्व व्यय				
1.	प्रशासनिक लागत	2008-09	1.46	मा.प.प्र. के पैरा 6.2 के अनुसार मान्य नहीं।
		2009-10	0.85	
2.	आतंकवाद बीमा प्रीमियम	2009-10	0.70	मा.प.प्र. के पैरा 6.7 के अनुसार, या.से.शु. (एस.सी.) से सृजित तय परिसंपत्तियों को सुरक्षा प्रदान करने
		2010-11	0.33	

[1]प्रति यात्री ₹ 200 पर निर्धारित; इसका 65 *प्रतिशत* अर्थात, ₹ 130 सुरक्षा घटक है।

		2011-12	0.57[2]	के लिए दी जाने वाली बीमा अनुमेय है। अतः हवाई अड्डा को सुरक्षा प्रदान करने वाली यह प्रीमियम अनुमेय नहीं है।
3.	क्वार्टरों के निर्माण हेतु उधार ली गयी धनराशि पर प्रदत्त ब्याज	2008-09	4.53	मा.प.प्र. तथा ना.उ.मं. के 9 मई 2006 के आदेशानुसार, केवल के.औ.सु.ब. को किये गये भुगतान ही अनुमेय हैं। के.औ.सु.ब. के क्वार्टरों पर किये गये व्यय, के.औ.सु.ब. को किया गया भुगतान नहीं है। अतः यह अनुमेय नहीं है।
		2009-10	6.86	
		2010-11	6.91	
		2011-12	8.27	
4.	भूमि पंजीकरण प्रभार	2010-11	0.03	व्यय को परियोजना निधियों से पूरा करना था या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते से नहीं।
कुल योग			**30.51**	
पूंजीगत व्यय				
1.	भूमि क्रय	2007-08	4.00	व्यय को परियोजना निधियों से पूरा करना था या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते से नहीं।
2.	के.औ.सु.ब. के क्वार्टरों का निर्माण	2008-09	65.89	
कुल योग			**69.89**	
या.से.शु. (एस.सी.) निधि में से अमान्य व्यय का सकल योग			**100.40**	

संचालक द्वारा या.से.शु. (एस.सी.) निधि से अमान्य व्यय के मामले को या.से.शु. (एस.सी.) एस्क्रो खाते के वर्ष 2007-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लेखे की लेखापरीक्षा के दौरान ना.उ.म. ध्यान में लाया गया। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए ना.उ.मं. ने जी.है.अं.ह.अ.लि. को उपरोक्त कथित 2010-11 तक किये गये सभी अनुचित व्ययों को तुरंत वापस करने और एक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश (जुलाई 2012) दिया। जी.है.अं.ह.अ.लि. ने ना.उ.मं. के निर्देशानुसार अनुचित व्ययों को वापस नहीं किया, बल्कि 2011-12 के दौरान ₹ 8.84 करोड़ का अतिरिक्त अमान्य व्यय किया था जैसा कि ऊपर दिखाया गया है।

इस प्रकार, संचालक द्वारा या.से.शु. (एस.सी.) निधि से ₹ 100.40 करोड़ का अमान्य व्यय प्रभारित करना अनियमित था और इसे शीघ्र वापस करना आवश्यक था।

[2] आंतकवाद बीजा प्रीमियम पर ब्याज के प्रति ₹ 0.14 करोड़ सहित